TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 5TH JULY 1996

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

*****

New Delhi,5th July, 1996

NOTIFICATION

S.O. (E) - Whereas by notification vide S.O. 228 (E) dated 17th March, 1994 issued under sub-section (i) read with clause (b) of Explanation to section 35AC of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified the scheme at serial number 12, the Integrated Rural Development project comprising construction of twenty five primary schools, ten community centres, one vocational training centre at Dibrugarh, one hundred old age homes, one hundred tubewells, five health centres, mobile dispensaries, road construction, one hundred dwelling units for poor, one hundred low-cost latrines and first phase of sports stadium, likely to cost Rs.417.74 lakhs as an eligible project or scheme for a period of three years commencing from the assessment year 1994-95;

AND WHEREAS the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

AND WHEREAS the National Committee being satisfied that the said project or scheme is executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income Tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

NOW, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of Explanation to section 35AC of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) hereby specifies the scheme of the Integrated Rural Development project comprising construction of twenty five primary schools, ten community centres, one vocational training centre at Dibrugarh, one hundred old age homes, one hundred tubewells, five health centres, mobile dispensaries, road construction, one hundred dwelling units for poor, one hundred low-cost latrines and first phase of sports stadium, which is being carried out by Murleidhor Jalan Foundation, Calcutta , West Bengal as an eligible project or scheme at an estimated cost of Rs. 417.74 lakhs for a further period of three assessment years i.e. Assessment years 1997-98, 1998-99 and 1999-2000.

No.10139

(V.K. Sehgal)
Deputy Secretary to the Government of India

F,No. NC-92/96

भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में
दिनांक 5, जुलाई, 1996 को प्रकाशनार्थ ।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
...

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1996

अधिसूचना

का0आ0 (अ) -केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 का के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत दिनांक 17 मार्च, 1994 को का0आ0 228 (अ) के तहत जारी अधिसूचना के द्वारा क्रम संख्या 12 पर डिब्रूगढ़ में एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना जिसमें पच्चीस प्राथमिक विद्यालयों, दस सामुदायिक भवनों, एक व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, एक सौ वृद्धावासों, एक सौ नलकू, पांच स्वास्थ्य केन्द्रों, चलते फिरते चिकित्सालयों, सड़क निर्माण, गरीबों के लिए एक सौ आवास इकाइयों, एक सौ कम लागत वाले शौचालयों तथा खेल स्टेडियम के प्रथम चरण का निर्माण शामिल है, जिसकी अनुमानित लागत 417.74 लाख रुपये है, की योजना को पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1994-95 से शुरू होनेवाले तीन वर्षों के लिए विनिर्दिष्ट किया था ;

और उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से आगे बढ़ने की संभावना है;

और राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली 1962 के नियम 11ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना या स्कीम को तीन और वर्षों के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ।

अब, अतएव केन्द्र सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 का के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुरलीधर जालान फाउंडेशन, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल द्वारा मात्र 417.74 लाख रुपये की लागत पर एकीकृत

....कृपृउ....

ग्रामीण विकास परियोजना जिसमें पच्चीस प्राथमिक विद्यालयों, एक सौ वृद्धावासों, एक सौ नलकूप, पांच स्वास्थ्य केन्द्र, चलते-फिरते चिकित्सालय, सड़क निर्माण, गरीबों के लिए एक सौ आवास इकाइयों, एक सौ कम लागत वाले शौचालयों तथा खेल स्टेडियम का प्रथम चरण का निर्माण शामिल है, की योजना को पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1997-98, 1998-1999, 1999-2000 से शुरू होने वाले तीन निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[वी0के0 सहगल]
उप सचिव, भारत सरकार

सं0 10139

फा0सं0 एन0सी0-92/96